Rajasthan State Mines & Minerals Limited
(A Government of Rajasthan Enterprise)
4, Meera Marg, Udaipur - 313 001
Phone :(0294) 2427177, 2428792, 2428763-67, Fax :(0294) 2428768/2428739/2428770
GSTIN 08AAACR7857H1Z0
E-mail : contractsco.rsmml@rajasthan.gov.in, **Website: www.rsmm.com**

निविदा संख्या : RSMM/CO/GGM(Cont)/Cont-17/2018-19/ दिनांक : 26.10.2018

निविदा प्रपत्र

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवायें किराये पर ऐजेन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु निविदा ।

निविदा प्रपत्र **विक्रय एवं डाऊनलोड** करने की तिथि एवं समय		दिनांक 26.10.2018 से 26.11.2018 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 26.11.2018 अपरान्ह् 3.00 बजे तक
संविदा खुलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 26.11.2018 अपरान्ह् 3.30 बजे
निविदा प्रपत्र का मूल्य	:	रू. 590/-
कॉरपोरेट कार्यालय	:	4, मीरा मार्ग, उदयपुर
दूरभाष	:	0294-2427177, 2428763-67, 2803519
फेक्स	:	0294-2428768, 2428739

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)
4, मीरा मार्ग , उदयपुर
फेक्स नं.;0294–2428739, फोन नं. 2428763–67, 2428794,2428794
Email: contractsco.rsmml@rajasthan.gov.in

निविदा संख्या : RSMM/CO/GGM(Cont)/Cont-17/2018-19/ दिनांक : 26.10.2018

प्रथम भाग – तकनीकी वाणिज्यिक निविदा

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवायें किराये पर ऐजेन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु निविदा

1. निविदादाता/फर्म का नाम व पताः ....

(मय दूरभाश/माबाईल नम्बर तथा ई–मेल)...

पते (यदि हो) सहित ....

2. अन्य विवरण

क्र. सं	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक एवं प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)				
5	आय कर (पैन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

नोट : वित्त विभाग(जीएण्डटी) के परिपत्र क्र.एफ2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.4.2018 के दिशा निर्देशों अनुसार संवेदक का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम ,

1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत होना, उक्त बोली में भाग लेने हेतु जरूरी है। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करे।

3. टेण्डर प्रपत्र प्राप्त करने का पता– महा प्रबन्धक (कॉन्ट्रेक्ट) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड 4, मीरा मार्ग , उदयपुर

4. संदर्भः– निविदा सूचना RSMM/CO/GGM(Cont)/Cont-17/2018-19/ दिनांक : 26.10.2018

5. निविदा शुल्क का विवरण (अहस्तांतरणीय) – राशि रूपये 590/–(जीएसटी सम्मिलित)

   डी.डी. न0 /बैंकर्स चैक ....दिनांक..

6. धरोहर राशि/अर्निस्ट मनी

   6.1. अर्निस्ट मनी के बैंकर्स ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, बैंक का नाम... जो राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स, उदयपुर राशि रू0 19300/–(शब्दो मे रूपये उन्नीस हजार तीन सौ रूपये मात्र) ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के पक्ष मे देय हो का विवरण। यह डी.डी /बैंकर्स चैक तकनीकी वाणिज्यिक निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। धरोहर राशि किसी अन्य रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

   6.2 धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

   6.3 सफल निविदाकर्ता की प्रार्थना पर धरोहर राशि को अमानत राशि में भी समायोजित किया जा सकता है। असफल निविदाकर्ता जो तकनीकी–वाणिज्यिक निविदा के मूल्यांकन में असफल हो गये है उनकी धरोहर राशि जल्द से जल्द लौटा दी जायेगी । बाकी बचे हुए निविदाकर्ता की धरोहर राशि सफल निविदाकर्ता को LOA/DLOA जारी करने के बाद लौटायी जायेगी ।

   6.4 बिना धरोहर राशि के निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि अन्य रुपों में जैसे चेक से,बेंक गारण्टी, एफडीआर आदि रुपों में स्वीकार्य नही है।

   6.5 निम्नलिखित कारणों/दशाओं में धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा :

      1.0 अगर निविदादाता, निविदा को, निविदा की वैधता अवधि में संशोधित या निरस्त करता है, तब ।
      2.0 अगर निर्धारित समयावधि में निविदादाता द्वारा अमानत राशि जमा नहीं की जाती है ।
      3.0 अगर निर्धारित समयावधि में निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रारुप में एग्रीमेन्ट नहीं किया है तब
      4.0 अगर निविदादाता द्वारा निविदा में कोई गलत सूचना/ गलत दस्तावेज/ गलत सत्यापन दस्तावेजों का किया है तो ।
      5.0 अगर निविदादाता द्वारा निर्धारित समायावधि में कार्य शुरु नहीं किया जाता है या कंपनी द्वारा दिये गये ऑफर को स्वीकार नहीं किया है या स्वीकार करने के बाद निर्धारित समायावधि में कार्य शुरु नहीं किया है तो

7. पात्रताः– निविदाकर्ता के पास कम से कम रु. 5.79 लाख का कारोबार turnover तीन वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 अथवा 2017–18 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम से होना आवश्यक है । संविदाकर्ता को C.A. Certified B/S turnover के लिए तकनीकि वाणिज्यिक निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

8. अपवाद एवं विचलन (exception and deviation statement) परिशिष्ठि 'अ' तकनीकी वाणिज्यिक निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

9. Affidavit परिशिष्ठ 'ब' नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प रू. 50/– का तकनीकी वाणिज्यिक निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

10. निविदाकर्ता कार्य की दरें प्रथम भाग या किसी अन्य लिफाफे में या अन्य माध्यम से प्रस्तुत नहीं करें ऐसे प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे तथा निविदाकर्ता यदि अपनी दरें निविदा के किसी भाग में इंगित करता है तो इस अवस्था में इस निविदाकर्ता को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा ।

11. प्रथम तकनीकी वाणिज्यिक भाग में सफल निविदाकारों को सूचीबद्ध किया जावेगा एवं मात्र सफल सूचीबद्ध निविदाओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से सम्बन्धित) खोला जायेगा । सफल निविदाकारों को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से अवगत करा दिया जायेगा ।

12. निविदाता निविदा को पूर्णतया भरे लेकिन द्वितीय भाग– दर निविदा को छोड़ दे और प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर तकनीकी वाणिज्यिक निविदा के साथ संलग्न करे।

13. दर निविदा उन्ही निविदाताओं की खोली जायेगी जिनकी निविदा तकनीकी वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य होगी।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)

निविदा संख्या : RSMM/CO/GGM(Cont)/Cont-17/2018-19/ दिनांक : 26.10.2018

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवाये किराये पर लेने के लिये मांगी जाने वाली निविदा के लिये विभागीय शर्तेः–

निविदादाता को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिये एवं निविदा भेजते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिये । निविदादाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे मे कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले उसका राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावें । किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध मे कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।

1. निविदा प्रपत्र महा प्रबन्धक (कॉन्ट्रेक्ट) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., 4 मीरा मार्ग, उदयपुर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क नकद जमा करवाकर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा प्रपत्र पर प्रस्तुत दरें ही स्वीकार की जावेगी। यह निविदा प्रपत्र किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।

2. निविदा ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत करनी होगा। लिफाफे पर संविदा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की निविदा संख्या अंकित कर उसे महाप्रबन्धक (अनुबंध), राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि, उदयपुर को सबोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुच जावें। एक लिफाफे के अंदर निविदाता प्रथम भाग– तकनिकी वाणिज्यिक निविदा और दर निविदा के लिफाफे अलग अलग कर–कर भरे।

3. निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

4. **निविदा की वैधता :** निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा की अवधि 120 दिन के लिए मान्य होगी । इस वैधता अवधि या बढाई गई वैधता अवधि में कोई भी परिवर्तन या संशोधन या निरस्तीकरण निविदा में नहीं किया जा सकेगा । लेकिन अगर निविदादाता ऐसा करता है तो ऐसे निविदादाता की धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा । अगर निविदादाता कार्य को स्वीकार करने या कार्य को निर्धारित समय में नहीं करता है तो निविदादाता की धरोहर राशि/अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा ।

5. अर्निस्ट मनी –रू.19,300/–(रू. उन्नीस हजार तीन सौ) डी.डी./बैंकर्स चैंक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, बिना अर्निस्ट मनी के प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा। डी.डी./बैंकर्स चैंक, राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि, उदयपुर के नाम से देय होगा एवं इस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

6. **अमानत** राशि :

6.1 अमानत राशि कुल अनुबंधित राशि (Total Contract Value) की 10 प्रतिशत होगी, जो कि बैंक गारन्टी/अथवा डीडी द्वारा देय होगी । बैंक गारन्टी उचित मूल्य के नॉन ज्युडिसियल स्टॉम्प पेपर (प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम) कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में

(एसबीआई को छोड़कर किसी भी पीएसयू बैंक से/आईसीआईसीआई/एक्सिस/एचडीएफसी बैंक से दी जा सकती है ।

6.2 अमानत राशि को अनुबंध अवधि के समाप्त होने के छः माह बाद लौटायी जायेगी लेकिन अनुबन्धकर्ता को अनुबंध से संबंधित उसके सारे दायित्व पूरे करने होंगे और कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र कंपनी को प्रस्तुत करना होगा ।

6.3 कंपनी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह पूर्ण या आंशिक तौर पर अमानत राशि को जब्त कर सकती है तब जब अनुबन्धकर्ता या तो अनुबंध के अधीन अपने दायित्व पूरे नहीं करें या कंपनी से संबंधित सभी देयताओं को कंपनी को भुगतान करने में असफल हो ।

6.4 अगर अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी कारणवश अमानत राशि कम पडती है तो अनुबंधकर्ता को अतिरिक्त अमानत राशि जमा करानी पडेगी । कंपनी अमानत राशि की पूर्ति अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों में से भी कर सकती है ।

6.5 अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7 वार्ता –Negotiation

7.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (एल–1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है । न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्तावत स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर ऑफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (एल–2) को तत्पश्चात तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (एल–3) को दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार (Counter Offer) स्वीकार करेगा उसे कम्पनी द्वारा कार्यादेश जारी किया जा सकता है ।

7.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ दर प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा ।

7.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (Written Authority) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कि यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्तावत को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत हैं ।

8. <u>L1 bidder का निर्धारण</u>: जिस निविदाता की कुल राशि मासिक आधार पर सबसे कम होगी वह L1 होगा ।

9. <u>कर एवं दरें</u>

I. निविदाकर्ता को प्रस्तुत दरो मे वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) सम्मिलित नहीं करना होगा अन्य सभी प्रकार की ड्यूटी शामिल करनी होगी जो की निविदा की अंतिम तिथि तक लागु हो। प्रस्तुत दरे कार्य अविधि के दौरान स्थिर रहेंगी एवं निविदा मे वर्णित शर्तो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देय नहीं होगी ।

II. वस्तु एवं सेवा □र □ा समय से भुगतान □रना एवं टैक्स रिटर्न समय से जमा □रवाने □ी सम्पूर्ण जिम्मेदारी □ांट्रेक्टर □ी रहेगी । इस□ तहत प्राप्त निर्धारित क्रेडिट RSMML □ो मिले यह सुनिश्चित □रना भी □ांट्रेक्टर □ा □ार्य होगा ।

III. यदि □िसी □ारणवश RSMML □ो क्रेडिट नहीं मिलता है तो □ंपनी □ांट्रेक्टर □ो देय बिल / सिक्योरिटी डिपाजिट मे से यह क्रेडिट राशि □टौती □रने □ लिए स्वतंत्र रहेगी ।

IV. □ार्य □ लिए देय भुगतान □ GST return भरने मे हुई गलती या देरी एवं Reversal of input tax credit (ITC) □ारण पेनेल्टी लगने □ी परिस्तिथी मे देय राशि □ा भुगतान □ांट्रेक्टर द्वारा □िया जायेगा यदि ऐसा नहीं होता है तो □ंपनी यह राशि □ांट्रेक्टर □ो देय राशि मे से □टौती / समायोजित □र स□ती है ।

V. निविदादाता को निविदा दर भरते समय सभी प्रकार के डयूटी एवं लेवीज, जो इस कार्य से संबंधित हो जोडकर भरनी होगी । इस विषय में अनभिज्ञता अगर निविदादाता द्वारा दर्शायी गयी, तो वह अतिरिक्त पेमेन्ट इस एवज में प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है ।

VI. अगर निविदा भरने के बाद कर एवं डयूटी बढती है या घटती है या निरस्त हो जाती है या नयी इम्पोज की जाती है और जो अनुबंधित कार्य से संबंधित है तो आरएसएमएमएल अनुबंधकर्ता से कर एवं डयूटी की वसूली करेगा या अनुबंधकर्ता को इन करों एवं डयूटी की क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन इसके लिए अनुबन्धकर्ता को कंपनी को इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे । कंपनी को आयकर या अन्य कर जो इस कार्य से संबंधित हो की कटौती करने का पूर्ण अधिकार है ।

10. सफल निविदादाता कार्य आदेश जारी करने पर निर्धारित दिनांक से कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो जमा कराई गई अर्निस्ट मनी कम्पनी द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
11. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्वंय के खर्चे पर रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
12. निर्धारित अवधि मे अनुबन्ध नही करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नही कराने पर उसकी अर्निस्ट मनी जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जावेगी अथवा अन्य निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
13. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) किराये पर कार्य अवधि का ठेका स्वीकृति दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिये होगा। कार्य सतोषजनक होने पर यह अवधि 6 माह के लिए समान दर व शर्तो पर बढाई जा सकेगी ।
14. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संख्या व योग्यता विवरणः–
    - कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सख्या':– वर्तमान में आठ, आवश्यकता होने पर बढाई जा सकती है।
    - कर्मी की योग्यताः– कर्मी स्नातक होना चाहिये। कम्प्यूटर ऑपरेटर को विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट ओपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान और राज्य सरकार के वित्त विभाग से जारी परिपत्रों की पालना आवश्यक है।

15. **मशीनों को विवरणः**–निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च्च श्रेणी मे होना आवश्यक है–

    i) Computer –Intel Core i3/Equivalent AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more. 15” Monitor\TFT or bigger 10/1001000 Mbps Lan card, Cd/DVD writer standards Keyboard, Optical Mouse, Standard serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.

ii) Printer:.Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix /inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
iii) UPS:. Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

16. निविदादाता ऐजेन्सी का वस्तु एवं सेवा कर एवमं अन्य किसी भी प्रकार का कर जो कि निविदा के समय इस पर लागू होगा, उसका संबंधित विभाग से पंजियन करा कर प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तावित दर में सभी लागू टेक्स सम्मिलित होने चाहिए केवल वस्तु एवं सेवाकर छोड़कर।(भविष्य में इस कार्य से संबंधित अन्य कोई कर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू होता है तो वह विभाग द्वारा एजेन्सी को त्यदर के अनुपात में पुर्नभरण किया जायेगा।)

17. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये सन्तोषप्रद नहीं पायी जाती है, तो निविदादाता को तुरन्त इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा । कम्पयूटर ऑपरेटर लगातार 4 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर (अनुपातिक रूप में प्रतिदिन का वेतन एवं रू. 100/– प्रतिदिन). applicable GST के हिसाब से पेन्लटी का प्रतिमाह के बिल भुगतान में से काटा जा सकेगा।

18. कम्प्यूटर ऑपरेटर को आईडी कार्ड (परिचय पत्र) संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें तथा कार्यालय समय मे कम्प्यूटर ऑपरेटर को एजेन्सी द्वारा परिचय पत्र आईडी कार्ड अपने पास रखना/मांगने पर दिखलाना आवश्यक होगा।

19. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से सायः 6 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय आर.एस.एम.एम.लि. द्वारा परिवर्तन किये जाने पर तदनुसार मान्य होगा ।

20. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मियों को संविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एव पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रो की प्रतियां कार्यदेश जारी होने की तिथि के एक माह के अन्दर कार्यालय मे प्रस्तुत करने होगें। अनुबन्ध की अवधि मे यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।

21. . कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु अन्य शर्ते वित विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.4.2018, एवं एफ.2/एफ.डी.(1)एम.पी.एफ.सी/2017 दिनांक 11.7.2018 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों तथा प्रचलित न्यूनतम मजदूरी ईपीएफ, ईएसआई आदि की अनुपालना सम्मिलित है।

22. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र, उदयपुर होगा।

23. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) आरएसएमएम लि. अधिकारी को होगा।
24. निविदा की शर्ते ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता, 2013'' के अधीन रहेगी।

दिनांकः–

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नामः मैसर्स...

पता एवं मोबाईल नंः ....

वित्त विभाग (जीएण्डटी) के परिपत्र सं.1/2018 दिनांक 30.4.2018 के दिशा–निर्देश

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
3. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्यवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
4. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
8. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

10. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर की राशि जमा कराने के प्रमाण पत्र स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उतरदायी होगा।

12. यदि संवेदक एवं कार्य पर लागये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उतरदायी होगा।

13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने /सामुहिक दुर्घटना बीना कराने इत्यादि की की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को क्मइंत कराने की कार्यवाही करेगी।

16. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनज़र किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

17. उपापन संस्था द्वारा संवेदन को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

हस्ताक्षर
निविदादाता मय मोहर

परिशिष्ठ–' अ'

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)

निविदा संख्या : RSMM/CO/GGM(Cont)/Cont-17/2018-19/ दिनांक : 26.10.2018

अपवाद और विचलन EXCEPTION AND DEVIATION

निविदादाता का नाम

Tenderer may stipulate here exceptions and deviations to the tender conditions if considered unavoidable.

निविदाकर्ता निविदा शर्तो के लिए यहां अपवाद और विचलन निर्धारित कर सकते हैं । यदि अपरिहार्य है तो ।

No. (संख्या)	Page No. of Tender Document (निविदा दस्तावेज की पृश्ठ संख्या)	Clause No. of Tender Documents (निविदा दस्तावेज की खण्ड संख्या)	Subject (विषय)	Deviation (अपवाद)

अनुबन्धकर्ता की सील

सहित हस्ताक्षर

नाम...

दिनांक............................. पता..

परिशिष्ठ–' ब '

AFFIDAVIT

(on non judicial stamp paper worth Rs. 50/-)

निविदा संख्या : आरएसएमएम/सीओ/ दिनांकः / /2018

Name of Tenderer………………………………………………………………………………

I,………………………………………S/o Shri……………………………aged………. Years, resident of…………………………………………………………… on behalf of the tenderer i.e. M/s………………………………………………………………… hereby undertake oath and state as under:-

(1) I / We are not having or had any litigation with the RSMML/any other company in relation to the work. In case of litigation with RSMM or any other company, I/we hereby undertake that such litigation will not restrict me/us in smooth execution of tendered work.
(2) I / We have not been banned or suspended /de-listed by RSMML.
(3) I / We declare that I/We have not mentioned any exception /deviation of the tender conditions anywhere else in our offer &
(4) I / We declare that price bid is in prescribed & no conditions are attached to it.Even if any conditions /s found, those would be ignored at the risk & cost of us.
(5) That we are registered under MSMED act & the registration number of the firm is……. (Copy enclosed).

Or

That we are not registered under MSMED act.

(6) I/We do hereby declare that I/We have fully read and understood the purpose and contents of all the terms and conditions of this contract, nature, quantum, contract period and scope of work of the tender document and all terms& conditions of this tender and these are acceptable to we/us.
(7) I/We do hereby declare that I/We have fully read and understood the provision of Rajasthan Transparency in public procurement Rules 2013 and all terms& conditions mentioned therein are acceptable to we/us.
(8) I hereby declare that as on date no default has been made by us towards payment of GST and all returns up to the last date of submission of bid have been filled by us."

Signature of Tenderer (s)

(Authorised Signatory)

With seal

Place:

Date:

Note: Original Notarized affidavit shall be sent to the office of GGM (Contract), RSMML,4-Meera marg, Udaipur-Raj-313001 along with Tender fees, processing fees and EMD.

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

<u>द्वितीय भाग – दर निविदा</u>

<u>मूल्य बोली प्रोफार्मा</u> *PERFORMA OF PRICE OFFER*
अलग सीलबंद लिफाफे में दी जाने वाली

Tender no. RSMM/CO/GM (Cont)/Cont-20/2016-17 Dated 06.02.2017
निविदादाता नाम एवं पता

निविदा के लिये मासिक प्रस्तावित दर प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन):–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी				ईपीएफ दर प्रतिशत प्रति श्रमिक	ईएसआई दर प्रतिशत प्रति श्रमिक	सामग्री राशि/ उपकरण किराया (रू. अंको एवं शब्दों में) प्रति कम्प्यूटर	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति श्रमिक प्रति कम्प्यूटर	कुल राशि प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर **(योग कॉलम संख्या** 3+6+7+8+9)
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि (रू.में	12 %	4.75 %		(रू. अंको एवं शब्दों में)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	कम्प्यूटर ऑपरेटर	उच्च कुशल	7358 /–	8	7358 x 8	883	350			
योग कुल मासिक **राशि** = (**कॉलम संख्या** 4 x **कॉलम संख्या** 10)										

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)का अलग से भुगतान कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
- कम्पनी की विभागीय शर्तो एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र वित्त विभाग (जीएण्डटी) के परिपत्र सं.1/2018 दिनांक 30.4.2018 (संलग्न) के दिशा–निर्देशों की पालना करना आवश्यक है।
- निविदा की प्रस्तावित दर अंको व शब्दो मे समान होनी चाहिये । अको व शब्दो में अन्तर होने पर जो भी दर कम हो वह मान्य होगी। दर मे किसी भी प्रकार की कोई कांट छांट/ओवर राईटिंग नही होनी चाहिये, यदि काट छांट हो गई हो तो उसे निविदादाता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावे।

मैने/हमनें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया हैं हमे सभी शर्ते मान्य होने बाबत हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम एवं पता
मोबाइल नं.

Annexure-A

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……………………. For procurement of

……………………… in response to their Notice Inviting Bids No. …………….. ……. Dated ………….. I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date — Signature of bidder

Place — Name:

Designation:

Address

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Principal Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Mines & Petroleum,
Secretariat,
Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Finance,
Secretariat,
Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1

(see rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ………………. of …………………………….

Before the …………………………….(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Ground of appeal : ………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………..(Supported by an affidavit)
7. Prayer: …………………………………………………………………………….

   …………………………………

Place …………………………..

Date …………………………..

Appellant's Signature

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

PROFORMA OF GUARANTEE BOND FOR SECURITY DEPOSIT

(To be issued by a PSU bank (except SBI)/ICICI/HDFC/Axis bank except SBI having its Branch office at Udaipur on non-judicial stamp paper on non-judicial stamp paper of valuing 0.25% of BG value subject to maximum of Rs. 25000 or on appropriate value *under Indian Stamp Act* prevailing on the date of issuance of BG.)

B.G_____________________Dated______________________
This Deed of Guarantee made between ____________________________ a Bank, having its registered office at
___________________ and its head office at _____________________________ and wherever the context so required include its successors and assignees (hereinafter called the Surety/Bank) AND Rajasthan State Mines and Minerals Limited, a company incorporated and registered under Indian companies Act,1956, having its registered office at C-89/90 Lal Kothi Scheme, Janpath, Jaipur and Corporate office at 4 Meera Marg, Udaipur and wherever its context so required includes its successors and assignees(hereinafter called 'the company).
Whereasthe Company having agreed to exempt M/s. ________________ a company/partnership firm
__________________ (address of registered/H.O.) where ever the context so require includes its successors and assignees (hereinafter called 'the Contractor) from the demand under the terms and conditions of letter of Acceptance no. ______________ dated _________________ issued in favour of the Contractor and agreement dated __________________ entered into between RSMML and M/s. ________________(Contractor), hereinafter called 'the said letter of Acceptance/agreement' which expression shall also include any amendment, modification or variations thereof made in accordance with the provision thereof, of cash security deposit for the due fulfillment by the said letter of Acceptance/agreement on production of unconditional and irrevocable Bank Guarantee for Rs.

_________(Rs. _______________________) being equivalent to ________________% of Contract value of Rs.
__________________.

Now this deed witnesseth that in consideration of said bank having agreed on the request of the Contractor to stand as surety for payment of Rs. ____________________ as security deposit to the company subject to the following conditions.

1. We, ______________________(Bank) do hereby undertake to pay to the company as amount not exceeding Rs. ________________ against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the company by reason of any breach by the said Contractor of any of the terms and/or conditions contained in the Letter of Acceptance/Agreement The decision of the Company, as to any such breach having been committed and loss/damage suffered to shall be absolute and binding on us.

2. We,_________________ (bank) do hereby undertake without any reference to the Contractor or any other person and irrespective of the fact whether any dispute is pending between the Company and the Contractor before any court or tribunal or Arbitrator relating thereto, to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur, and/or protest merely on the very first demand from the Company stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by or would be caused to or suffered by the Company by reason of any breach by the said Contractor of any of the terms and condition contained in the said Letter of Acceptance/agreement by reason of the said Contractor 's failure to perform the covenants contained in said letter of Acceptance/agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive absolute and unequivocal as regards the amount due and payable by the bank under this guarantee. However, bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. ___________________.

3. We, ___________________(bank) further agree that the guarantee herein above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the company under or by virtue of the agreement have been fully paid and its claim/s satisfied or discharged or till the company certifies that the terms and the conditions of the said Letter of Acceptance/agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor and accordingly discharges the guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the bank in writing on or before_____________(scheduled completion date, plus six months), the bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter unless otherwise further extended by the bank.

4. In order to give full effect to the guarantee herein contained the company shall be entitled to act as if, we(bank) are your principal debtor in respect of all your claims against the Contractor hereby guaranteed by us as aforesaid and we hereby expressly waive all our rights of surety-ship and other rights, if any which are in any way inconsistent and/or contrary to the above or any other provision of this guarantee, the bank's guarantee to pay hereunder will not be determined or affected by your proceeding against the Contractor and the bank will be liable to pay the said sum as and when demanded by you merely on first demand being made on the bank by you and even before any legal or other proceedings taken against the Contractor . Any letter of demand delivered at the bank's above branch/divisional office or Udaipur branch office under the signatures of the company's Financial Advisor and/or Executive Director or any of the Directors shall deemed to be sufficient demand under this guarantee.

5. We, _____________________(bank) further agree that the company shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Letter of Acceptance/agreement or to extend time of performance by the said Contractor from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Company against the said Contractor and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the Letter of Acceptance/Agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said Contractor or for any fore bearance act, or omissions on the part of the company or any indulgence of the Company to the said Contractor or by any such matter or things whatsoever which under the law relating to the sureties would but for this provisions have effect of so relieving us.

6. This guarantee herein contained would come into force from the date of issue and would not be affected by any change in the constitution of the Contractor or ourselves or liquidation or winding up or dissolution or insolvency of the Contractor nor shall it be affected by any change in company's constitution or by any amalgamation or any absorption thereof or therewith but shall ensure for and be available to and enforceable by absorbing or amalgamated company or concern till the payment or amount not exceeding Rs. ____________________ is made by the Bank.

7. The guarantee will not be discharged or affected if the Company holds/obtain any other security/guarantee/promissory note from any person and/or the Contractor and this guarantee shall be in addition to any such guarantees.

8. We,____________________(Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during this currency except with the previous consent of the company in writing.

9. The bank has power to issue this guarantee in favour of the Company and the undersigned has full powers to do so under power of Attorney dated _________________ granted to him by the bank.

10. For the purpose of enforcing legal rights in respect of this guarantee Udaipur courts in the state of Rajasthan alone shall have jurisdiction.

IN WITNESSETH I, HEREBY___________________ SON OF

_____________(designation)______________(branch) constituted attorney of the said bank have set my signatures and bank seal on this guarantee which is being issued on non-judicial stamp of proper value as per Stamp Act prevailing in the state of ___________________executed at ______________ this the __________________ day of _______________20.